UPGK010043052026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01, गोरखपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 1789/2026

गोरख यादव पुत्र सत्यनारायण, यादव, निवासी- खजुरी, थाना- खजनी, जिला- गोरखपुर। .....**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**विपक्षी**

मु०अ०सं०- 39/2026
अंतर्गत धारा- 61(2), 340(2),
336(3), 338, 318(4), 319(2) B.N.S.
थाना- खजनी, जनपद-गोरखपुर।

दिनांक- 30.06.2026

आवेदक/अभियुक्त द्वारा यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०- 39/2026, अंतर्गत धारा- 61(2), 340(2), 336(3), 338, 318(4), 319(2) B.N.S., थाना- खजनी, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र से समर्थित है।

जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा उसका अन्य कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी को जमीन की जरूरत थी। उसने यह बात अपने व्यवहारिक गोरख यादव को बतायी थी। गोरख यादव ने कहा कि उसके गाँव के दिनेश सिंह का खेत बिक रहा है। वादी गोरख यादव के साथ ग्राम-खजुरी दिनेश सिंह के घर गया, दिनेश सिंह व उनके लड़के युवराज सिंह व उनकी पत्नी मीना सिंह गोरख यादव के साथ मौके पर पहुँचे, जमीन देखी। वादी को जमीन पसन्द आ गयी, युवराज सिंह पापर्टी डीलर का कार्य करते है। युवराज सिंह बताये व कहे कि आराजी नम्बर-331 मि रकबा 2.114 हे को बेचना चाहते है। वादी 90 डिसमिल जमीन खरीदने पर सहमत हो गया, जमीन की कीमत 25 लाख रूपया में तय हुई, युवराज ने कहा कागज में 22 लाख रूपया दिखाईयेगा जिससे लिखाई कम हो जायेगी। इसके बाद युवराज सिंह दस हजार रूपया नगद बयाना ले गये। इसके बाद शेष तयशुदा प्रतिफल खाते से खाते में देकर आराजी नम्बर-331 मि रकबा 2.114 हे0 में 90 डिसमिल का बैनामा वादी ने अपनी पत्नी अनारी देवी के नाम दिनाक 08.01.2025 को लिखवाया। दस्तावेज बैनामे में बतौर हासिया गवाह गोरख यादव ने हस्ताक्षर बनाये, दिनेश सिंह ने पंजीकृत बैनामा तहरीर किया, जो बैनामा बही नम्बर-1 जिल्द संख्या-4302, पृष्ठ संख्या-393 ता 401 दस्तावेज नम्बर 1492025 पर उपनिबन्धक के कार्यालय खजनी, गोरखपुर के कार्यालय में दिनांक 08.012025 को पंजीकृत हुआ। वादी दूसरे दिन अपनी पत्नी के साथ कब्जा लेने पहुँचा तो पता चला

कि दिनेश सिंह अपने हिस्से की सभी जमीन पहले ही बेच चुके है। पता चला कि दिनेश सिंह का आराजी नम्बर-331 मि में मात्र 86 डिसमिल हिस्सा था और यह अपने हिस्से की जमीन पहले ही बेच चुके है और वादी की पत्नी को 90 डिसमिल का बैनामा कर दिये थे। तब वादी को यह एहसास हो गया कि सभी लोग दिनेश सिंह व युवराज सिंह, मीना सिंह व गोरख यादव के घोखाधड़ी व जालसाजी के आपराधिक षड्यन्त्र का शिकार हो गये है तो वादी ने दिनेश सिंह से कहा कि उसका पैसा वापस कर दीजिए। वह बैनामा वापस कर देता है तो वादी के इतना कहते ही दिनेश सिंह, युवराज सिंह मीना सिंह व गोरख यादव गाली देते हुए कहे कि न तो रूपया वापस होगा, न ही जमीन मिलेगी, तुम्हारे ही पैसा से तुम्हारा व तुम्हारे बच्चों की हत्या करवा दूँगा। फिर जमीन का नाम नहीं लोगे, वादी डर से घर वापस आ गया। उक्त सभी लोग बदनियति से वादी का पैसा हड़प लेना चाहते है व दिनेश सिंह खाते में रूपया पाने के बाद अपने लड़के युवराज पत्नी मीना सिंह को दे देते थे। गोरख यादव को कमीशन भी देते थे। उपरोक्त दिनेश सिंह पुत्र वंशु सिंह, युवराज सिंह पुत्र दिनेश सिंह, मीना सिंह पत्नी दिनेश सिंह, गोरख यादव पुत्र सत्य नारायण यादव ने एक आपराधिक षड्यन्त्र करके छल व प्रपंचना करके जाल साजी व धोखाधड़ी व कूटरचना करके कूटरचित दस्तावेज तैयार कराके पत्नी के नाम की जमीन अपना होना दिखाकर बैनामा लिखा और रूपया हड़प लिया। कब्जा मांगने पर मा-बहन की गाली व हत्या करवाने की धमकी दी जा रही है, जो एक गम्भीर अपराध है। दिनेश सिंह के उपरोक्त षड्यन्त्र व कूटरचना में उनके लड़के युवराज सिंह पत्नी मीना सिंह व गोरख यादव का राय मशविरा व मिली भगत और पूरा सहयोग था

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी एक वर्ष के विलम्ब से कानूनी राय से सोची समझी साजिश के तहत अंकित करायी गयी है। प्रार्थी अभिकथित घटना में कथित बैनामे में हाशिये का गवाह है। प्रार्थी का मुकदमा उपरोक्त से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थी के साथ मुकदमा उपरोक्त की तथाकथित घटना में नगद या खाते में कोई लेन देन नहीं किया गया है न ही प्रार्थी ने कोई पैसा किसी से प्राप्त किया है। प्रार्थी सम्मानित परिवार का व्यक्ति है। बाद जमानत भागने की कोई आशंका नहीं है। प्रार्थी ने किसी के साथ कोई धोखाधड़ी जैसा कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी पर लगी जुर्म धारा मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक/ अभियुक्त को जमानत पर अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर पूर्व से विक्रय की हुई भूमि को वादी मुकदमा की पत्नी के नाम कूटरचित दस्तावेज के आधार पर जरिए बैनामा पंजीकृत कराया गया है। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्त अग्रिम जमानत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थना-पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं समस्त सुसंगत प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर छल द्वारा पूर्व से विक्रय की हुई भूमि को वादी मुकदमा की पत्नी के नाम कूटरचित

दस्तावेज के आधार पर जरिए बैनामा पंजीकृत का अभियोग लगाया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है। केस डायरी में अंकित विवरण जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर पूर्व से विक्रित को वादी की पत्नी के पक्ष में छल द्वारा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर विक्रय किया जाना कहा गया है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित हो सके कि उसे गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित कराने के आशय से प्रस्तुत मामले में झूठा संलिप्त किया गया हो। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा मामले में अंतर्ग्रस्त धनराशि को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त गोरख यादव द्वारा मु०अ०सं०- 39/2026, अंतर्गत धारा- 61(2), 340(2), 336(3), 338, 318(4), 319(2) B.N.S., थाना- खजनी, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक-30.06.2026

(उमेश चन्द्र पाण्डेय-II)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01,
गोरखपुर।
JO Code - UP 6066

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01,
गोरखपुर।

Digitally signed by UMESH CHANDRA PANDEY
Date: 2026.06.30 16:57:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court